न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी–दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 16/2025 (जीसीएमएस सं.–2025/47) दायर दिनांक 16.04.2025

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, सूरतगढ़

——प्रार्थी

बनाम

सुनील कुमार पुत्र मोहनलाल जाति कुम्हार मै0 श्री विनायक गैस सर्विस त्रिमूर्ति मंदिर रोड सूरतगढ़

——अप्रार्थी

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

:: निर्णय :: दिनांकः– 16/10/2025

1. यह इस्तगासा प्रार्थी श्री पूर्ण सिंह प्रवर्तन निरीक्षक, सूरतगढ़ द्वारा धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया। इस्तगासा के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 15.04.2025 को सुनील कुमार पुत्र मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी वार्ड न. 37 सूरतगढ़ की दुकान मै0 श्री विनायक गैस सर्विस, त्रिमूर्ति मंदिर रोड सूरतगढ़ पहुंचे। मौके पर दुकानदार सुनील कुमार पुत्र मोहनलाल उपस्थित मिला जिसने स्वयं को दुकान का कार्यकर्ता तथा युवराज पुत्र सुगनाराम निवासी वार्ड न. 38 सूरतगढ़ को मालिक बताया तथा सुनील कुमार तथा नरेन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण लाल मौके पर उपस्थिति मिला तथा स्वयं को दुकान का मालिक बताया। सुनील कुमार की उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। दौराने जांच दुकान में 10 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय 37.59 किलोग्राम एलपीजी गैस, 1 इलैक्ट्रोनिक कांटा, 1 रिफलिंग मोटर पाये गये। दौराने पूछताछ सुनील कुमार ने बताया की मोटर से छोटे वाहनों तथा गैस सिलेण्डरों में गैस भरने में प्रयुक्त होती है। मौके पर कार्य स्थल पर उक्ता सिलेण्डरो के साथ–साथ एक रिफलिंग मोटर भी पाई गई जो छोटे सिलेण्डरों को रिफलिंग करने एवं वाहनों में गैस भरने में काम आना बताया गया। मौके पर सुनील कुमार से गैस रिफलिंग संबंधी अनुमति/प्राधिकार पत्र मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उसने बताया कि इस कार्य हेतु उसके पास कोई अनुमति/प्राधिकार पत्र नहीं है। उक्त समस्त से यह स्पष्ट है कि व्यावहारी द्वारा अवैद्य रूप से रिफलिंग की जा रही थी एवं घरेलू गैस सिलेण्डर इस कार्य में प्रयोग में लेने हेतु रखे गये थे। उक्त अवैद्य कार्य करते पाये जाने पर LPG Gas(Regulation of supply) आदेश 2000 के खण्ड 13 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस, 1 इलैक्ट्रोनिक कांटा, 1 रिफलिंग मोटर जरिये फर्द जब्ती जब्त की। जब्तशुदा उक्त समस्त सामग्री मय घरेलू सिलेण्डर मौके पर ही सुनील कुमार पुत्र रामप्रताप आयु 25 वर्ष जाति कुम्हार निवासी सूरतगढ़ कार्यकर्ता सूरतगढ़ गैस सर्विसेज सूरतगढ़ को सुपुर्द की। उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पस्ट है कि अप्रार्थी का उक्त कृत्य LPG Gas(Regulation of supply) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (ए) (बी) (सी), 4 (1) (ए), 6 व 7 (1) (सी) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उक्त 10 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस, 1 इलैक्ट्रोनिक कांटा, 1 रिफलिंग मोटर को राजसात करने के आदेश फरमावे।
2. इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किय गया। अप्रार्थी के बावजूद पर्याप्त सूचना के हाजिर नही आने पर आदेशिका दिनांक 07.10.2025 को उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।
3. हमने पत्रावली का गहतना से अवलोकन किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक, सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 15.4.2025 को मौके पर तैयार किये गये फर्द मौका जब्ती मय सुपुर्दगीनामा (अवैध गैस रिफलिंग) पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है जिसमें यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैद्य रिफलिंग का कार्य करता है। अतः यह साबित है कि अप्रार्थी द्वारा अवैध तरीके से गैस रिफलिंग का व्यवसायिक कृत्य कर LPG Gas(Regulation of supply) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (ए) (बी) (सी), 4 (1) (ए), 6 व 7 (1) (सी) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः मौके पर उक्त 10 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस, 1 इलैक्ट्रोनिक कांटा, 1 रिफलिंग मोटर को राजसात करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति प्रर्वतन निरीक्षक सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में [सुनाया] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.28 12:36:32 IST
Reason: SelfAttested

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner